यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

रण संख्या : 85/2020
र दिनांक : 29.10.2020

अनवान

1. मथुरा पिता नन्दा जाति धाकड़ निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ।
2. जगरूप पिता नन्दा जाति धाकड़ निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण........

बनाम

1. शंकरलाल पिता गोपी जाति धाकड़ निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. नारायण पिता शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. मोहनलाल पिता हीरालाल जाति धाकड़ निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. उदा पिता हीरालाल जाति धाकड़ निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ।
5. भोपाल पिता गोपी जाति धाकड़ निवासी सरदार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण.......

उपस्थित :–

1. श्री हरिओम सनाढ्य (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री नितीन सारस्वत (अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.03.2021

प्रार्थीगण ने मूल वादपत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाछ जांच प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थीगण पे अपने प्रार्थना पत्र पर तथ्य अंकित किये कि उनकी कृषि भूमि राजस्व ग्राम सरदार जी का खेड़ा पटवार हल्का श्रीनगर तहसील माण्डलगढ़ में स्थित है। जिसके खाता संख 155 आराजी संख्या 727/522, 728/639, 729/488, 730/522 कुल किता 4 रकबा 4 बीघा एवं खाता संख्या 151 आराजी संख्या 310/1, 311, 319, 340, 351, 352, 354 किता 7 रकबा 28 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि के 7 बीघा भूभाग पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 5 तक जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहतें है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहा है। दिनांक 13.10.2020 प्रतिवादीगण ने वादीगण की फसल को काट दी। जाड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुये। प्रतिवादीगण पर दो परिवार के सदस्य और उन्होने सामुहिक अपराधिक गठन कर रख[illegible]

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विवाद अस्थाई निषे[illegible] किया है।

विपक्षीगण के नोटिस तामिल होने पर विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हुये और उन्होने अपना जवाब शपथ पत्र साथ प्रस्तुत किया। विपक्षीगण ने अपने जवाब द्वा[illegible]र आपत्ति ली की प्रार्थीगण ने जिस आराजी नम्बर बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रत्येक आराजी नम्बर का रकबा अंकित नही किया है जबकि कृषि भूमि का विस्तृत विवरण देना आवश्यक है। पिवक्षीगण ने भी आपत्ति की। कुलिया भूमि में किस खसरा नम्बर की 9 बीघा भूमि पर विपक्षीगण प्रार्थीगण को बैदखल कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने कुल 32 बीघा 8 बिस्वा भूमि का प्रार्थना पत्र में विवरण देकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को चाहिये था कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Cha
Date: 2021.04.12 14:18:51 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

ग 9 बीघा कृषि भूमि बाबत् स्थगन आदेश चाहते है उसका स्पष्ट विवरण खसरा नम्बर व
के रकबे सदीत प्रार्थना पत्र में देना चाहिये था। जो प्रार्थना पत्र लाया गया है एसमें दो
ग-अलग स्थानों पर खातेदारी भूमि स्थित होना प्रार्थना पत्र में दर्शाया हुआ है किन्तु यह
ष्ट नही किया गया है कि किस स्थान पर स्थित कृषि भूमि पर विपक्षीगण कितनी भूमि पर
प्रार्थीगण को बैदखल करना चाहते है।

पत्रावली बहस हेतु सुनवायी में रखी गयी। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा
िना पत्र एवं जवाब के तथ्यों को दौहराते हुऐ बहस की गयी।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। दोनो पक्षों द्वारा की गयी बीस पर मनन
या गया।

प्रार्थीगण को अपने सुस्पष्ट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण होना
ाबित करवाना था किन्तु प्रार्थीगण इसमें असफल रे। क्योकि उन्होने अपने प्रार्थना पत्र में यह
ष्ट विवरण नही दिया की किस खसरा नम्बर का विवरण रकबा है। और किस खसरा नम्बर
ी कितने रकबे वाली भूमि पर विपक्षीगण प्रार्थीगण बैदखल कर कब्जा करना चाह रहे है।
र्थीगण ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि कौन से खसरा नम्बर के कितने रकबे की कौन
ी फसल काट कर विपक्षीगण ले गये। प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में सूविधा सन्तुलन होने के
थ्य को भी अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट करते हुये सिद्ध नही करवाया है। बहस में
ी प्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है कि वह कौन से नम्बर व रकबे की भूमि 9 बीघा भूमि है
जसके लिये स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन लेकर आये है। जहा तक अपुर्णय क्षति
ा प्रश्न है प्रार्थीगण ने यह साबित नही करवाया है कि उन्हें क्या हानि किस चासरा नम्बर
ी भूमि बाबत् विपक्षीगण ने पंहूचायी है।

प्रार्थना पत्र के तथ्य प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध नही करवाये जाने से प्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verifie
Digitally signed by Utsah
Date: 2021.04.12 14:18:5
Reason: SelfAttested